Saheb Ambedkar Secondary School, Rani Jhansi Road has been reported to the Delhi Administration.

(c) Delhi Admn, has received complaints from one such school regarding deduction of income tax from unpaid salary of teachers. Report of action regarding deduction against unpaid salaries of teachers by the school authority taken/proposed to be taken by Delhi Administration is being collected and will be laid on the Table of the House.

लय योजना की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विवरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति का गठन जो नवोदय विद्यालय योजना की भी समीक्षा करेगी ।

1. आचार्य राममूर्ति, खादीग्राम, जिला-मुंगेर — अध्यक्ष
2. प्रो० सी० एन. आर. राव, निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर । — सदस्य
3. डा० सुखदेव सिंह, भूतपूर्व कुलपति, पंजाब तथा मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय । — सदस्य
4. डा० एम० संतप्पा, भूतपूर्व कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय । — सदस्य
5. डा० ओबैद सिद्दीकी, टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई । — सदस्य
6. डा० भास्कर राय चौधरी, कुलपति, कलकत्ता, विश्वविद्यालय, कलकत्ता । — सदस्य
7. श्री एम० जी० भाटीवाडेकर, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, महाराजा कालेज, जयपुर । — सदस्य

8. प्रोफेसर उषा मेहता, सदस्य
राजनीतिशास्त्र और शिक्षक,
बम्बई ।

9. प्रोफेसर सच्चिदानन्द मूर्ति, सदस्य
संगम जगरला मुड़ी,
गुंटूर ।

10. डा० अनिल सद्गोपाल, सदस्य
किशोर भारती,
होशंगाबाद ।

11. फादर टी० वी० कुन्नंकल, सदस्य
अध्यक्ष,
नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली ।

12. प्रोफेसर मृणाल गिरि, सदस्य
दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर,
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय,
शिलांग ।

13 डा० विद्या निवास मिश्र, सदस्य
कुलपति,
काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।

14. डा० एल० ज़हूर कासिम, सदस्य
कुलपति,
जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली ।

15. श्री वेद व्यास, सदस्य
अध्यक्ष,
डी० ए० वी० कालेज प्रबंध समिति,
नई दिल्ली ।

16. श्री मनुभाई पंचोली, सदस्य
लोक भारती, सणोसरा,
जिला भावनगर ।

17. श्री एस० गोपालन, सदस्य-सचिव
अपर सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ।

18. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा उसके कार्यान्वयन की समीक्षा

(ii) नीति के संशोधन के संबंध में सिफारिशें करना ; और

(iii) संशोधित नीति के समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कार्यवाही की सिफारिश करना ।